

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2018/

दिनांक :

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
राज. जयपुर।

विषय: ई-निविदा सूचना प्रकाशित कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर (चिकित्सा पक्ष) मुख्यालय पर वर्ष 2018-19 हेतु दर संविदा पर फोटोस्टेट कार्य करने बाबत खुली ई-निविदा आमंत्रित की जानी हैं। कृपया संलग्न निविदा सूचना को नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें, साथ ही आपके विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करने का श्रम करें।

संलग्न : निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तें मय सी.डी.

— २६ —
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2018/486

दिनांक : ०४.०२.१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त संलग्न निविदा सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें। (संलग्न निविदा सूचना मय निविदा शर्तें)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज.जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2018/486

दिनांक : 08.02.18

ई-निविदा सूचना संख्या 1/2018-19

1. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए दर संविदा पर दो फोटोस्टेट मशीन मय ऑपरेटर फोटोस्टेट कार्य करने हेतु अनुभवी फर्मों से मोहरबंद दोहरे लिफाफों में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाताओं द्वारा निविदा की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.rajswasthaya.nic.in तथा पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा आवेदन वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से किया जाना है।
4. निविदा के साथ निविदा फार्म शुल्क 1000/-रु. एवं अमानत राशि 50000/- रुपये (पचास हजार रुपये) निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से देय तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क 500/-रु. एम.डी. आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम से देय बैंकर चैक/डी.डी. जमा करानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा के साथ सभी जमा शुल्क/बैंकर्स चैक, शपथ-पत्र, कागज नमूना, एनेक्जर दिनांक 28.02.2018 को मध्यान्ह 2.00 बजे तक स्थाई भण्डार अनुभाग (निदेशालय) में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. तकनीकी निविदा के साथ वित्तीय बिड के अतिरिक्त समस्त दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड की जानी है।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
8. यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा आगामी कार्य दिवस में उक्त समय पर ही जमा एवं खोली जावेगी।
9. तकनीकी निविदा में सफल निविदाओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक(जन स्वा.) को होगा। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2018/486

दिनांक: 08.02.18

ई-निविदा सूचना संख्या 1/2018-19

निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए निदेशालय (चिकित्सा पक्ष) में दर संविदा पर दो फोटोस्टेट मशीन मय ऑपरेटर फोटोस्टेट कार्य करने हेतु अनुभवी फर्मों से मोहरबंद दोहरे लिफाफों में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	कार्य का विवरण	दर संविदा पर फोटो स्टेट कार्य
2.	निविदा की अनुमानित लागत	25 लाख (एक वर्ष)
3.	प्रतिभूति बोली राशि (धरोहर राशि)	50,000/-रु. का डीडी/बैंकर्स चैक निदेशक(जन स्वा.) के नाम देय हो।
4.	निविदा प्रपत्र शुल्क	1,000/-रु. का डीडी/बैंकर्स चैक निदेशक (जन स्वा.) के नाम देय हो।
5.	RISL प्रसंस्करण शुल्क	500/-रु. का डीडी/बैंकर्स चैक एम.डी. आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम से देय हो।
6.	निविदा प्रपत्र को डाउनलोड प्रारम्भ करने की दिनांक एवं समय	08.02.2018 सांय 4.00 बजे से
7.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	28.02.2018 मध्यान्त 12.00 बजे तक
8.	तकनीकी निविदा के साथ संलग्न सभी शुल्क व आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की तिथि व समय	28.02.2018 मध्यान्त 02.00 बजे तक
9.	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि व समय	28.02.2018 मध्यान्त 03.00 बजे
10.	तकनीकी निविदा जमा कराने व खोलने का स्थान	स्थाई भण्डार अनुभाग, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निदेशालय में फोटो स्टेट का कार्य दी दर संविदा की बोली/दर संविदा हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1.	बोली/दर संविदा आमंत्रित करने वाला विभाग	निदेशक (जन स्वा.) चि.एवं स्वा. सेवाएं राज. जयपुर			
2.	बोली/दर संविदा का संदर्भ	बोली/दर संविदा सूचना क्रमांक: स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2018/..... दिनांक :.....			
3.	बोली/दर संविदा अधीन कार्य का विवरण	फोटो स्टेट कार्य के लिए बोली/दर संविदा।			
4.	बोलीदर संविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर			
5.	ऑन लाईन बोली/दर संविदा प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि व समय	दिनांक..... को सायंबजे			
6.	तकनीकी बोली/दर संविदा खुलने की तिथि और समय	दिनांक..... को सायं.....बजे तक को उपस्थित बोली/दर संविदा या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निदेशालय के कार्यालय में खोली जावेगी।			
7.	बोली/दर संविदा का विवरण	नाम			
		पता			
		टेलीफोन			
		मोबाइल फोन			
		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम/			
8.	बोली/दर संविदा शुल्क राशि...../- रुपये जमा कराने का विवरण				
9.	बोली/दर संविदा प्रसंकरण शुल्क राशि /-रुपये का जमा करवाये जाने का विवरण				
10.	बोली प्रतिभूति राशि/- रुपये जमा कराने का विवरण				
11.	गत दो वर्षों में राजकीय विभागों/ संस्थाओं में रुपये.लाख (प्रत्येक वर्ष का फोटो स्टेट)	वर्ष	विभाग का नाम	कार्य की राशि	अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें।
		2015-16			
	कार्य का अनुभव का दिवरण	2016-17			



12.	जी.एस.टी. रिटर्न 30.09.2017 तक का चुकता प्रमाण-पत्र		
13.	आयकर पैन (Pan) नम्बर पैन कार्ड की छाया प्रति		
14.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र		
15.	फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में बिक्री/टर्नओवर रुपये 13/- लाख (प्रति वर्ष) होना आवश्यक है।	बिक्री टर्नओवर की राशि /रुपयें	

16. फर्म द्वारा निदेशालय परिसर में एक स्थान पर 2 फोटो स्टेट मशीनें लगाई जावेगी।
17. फोटो स्टेट मशीन पर बिजली के बिल का भुगतान फर्म द्वारा किया जावेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर इसके लिए अलग से मीटर लगाया जावेगा।
18. विभाग द्वारा केवल स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। मशीन मय ऑपरेटर व पेपर फर्म (निविदा में प्रस्तुत नमूने के अनुसार) द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। मशीन के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। विभाग केवल प्रतियों की संख्या के आधार पर अनुमोदित दरों से भुगतान करेगा।
19. मशीनें प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायंकाल 8 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवश्यकता होने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा। अवकाश के दिन एक या दोनो मशीनें खुली रहेगी। निविदा प्रपत्र में अंकित सभी शर्तें मान्य होगी।
20. भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र का प्रोफार्मा कार्यादेश में दिया गया। अतः इसी प्रोफार्मा के अनुसार कार्य किया जावे व दिये गये विवरण के अनुसार सूची तैयार की जाकर बिल तीन प्रतियों में प्रतिमाह प्रस्तुत किया जावे।
21. फोटोस्टेट कार्य हेतु 70 जीएसएम ए ग्रेडमील (यथा जिरोक्स, जेके, टीएनपीएल) का पेपर ही प्रयोग में लिया जायेगा। इससे हल्का पेपर प्रयोग में नहीं लिया जायेगा। यदि निम्न क्वालिटी के पेपर का प्रयोग पाये जाने पर उस माह के सम्पूर्ण बिलों से रुपये 0.25 प्रति कौपी की दर से पेनल्टी काट ली जायेगी।
22. फोटोस्टेट के उपयोग में लिये जा रहे पेपर का आकस्मिक निरीक्षण निदेशक (जन स्वा.) द्वारा गठित समिति द्वारा किया जा कर प्रत्येक तीन माह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।
23. फर्म के द्वारा निविदा कार्य अन्य किसी फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जावेगा। अगर ऐसा पाया गया तो टेण्डर निरस्त/10 प्रतिशत की पेनल्टी की जायेगी।

बोली/दर संविदा द्वारा घोषणा :-

24. बोली/दर संविदा द्वि-प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई हैं। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुए तकनीकी बोली/दर संविदा के साथ संलग्न करने हैं :-


- | | | |
|-----|------------------------|--------------------|
| (1) | एनेक्चर-ए हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |
| (2) | एनेक्चर-बी हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |
| (3) | एनेक्चर-सी हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |
| (4) | एनेक्चर-डी हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |
| (5) | एनेक्चर-ई हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |
| (6) | एनेक्चर-एफ हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |
| (7) | एनेक्चर-जी हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |
| (8) | एनेक्चर-एच हस्ताक्षरित | पृष्ठ संख्या |



25. यह कि मैं/ हम (नाम) इस निदेशालय द्वारा प्रकाशित बोली/दर संविदा सूचना क्रमांक दिनांक के अनुसरण में निदेशालय के उपयोग के लिए फोटोस्टेट का कार्य हेतु तकनीकी बोली/दर संविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे हैं :-

- | | | |
|---|-------|--------------------|
| ① | | पृष्ठ संख्या |
| ② | | पृष्ठ संख्या |
| ③ | | पृष्ठ संख्या |
| ④ | | पृष्ठ संख्या |
| ⑤ | | पृष्ठ संख्या |
| ⑥ | | पृष्ठ संख्या |
| ⑦ | | पृष्ठ संख्या |
| ⑧ | | पृष्ठ संख्या |
| ⑨ | | पृष्ठ संख्या |

26. यह की इस बोली/दर संविदा के सम्बन्ध में निविदा की सभी शर्तें व बिन्दु मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।
27. यह कि बोली/दर संविदा के तहत अनुबन्ध होने पर बोली/दर संविदा के सप्लाई किये जानी वाली सामग्री के दरों के अलावा किसी प्रकार भुगतान नहीं किया जावेगा।
28. उक्त बोली/दर संविदा को आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर का होगा।



29. बोली/दर संविदा में अनुमोदित दरें कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी दरों को राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 29 एवं 73 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
30. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।
31. फोटोस्टेट कार्य में उपयोग लिये जाने वाले कागज का सेम्पल संलग्न हैं।
32. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल के उपापन के मामले में कुल कार्य आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी। यह प्रतिभूति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 में नियम-75 के अनुसार स्वीकार की जा सकेगी।
33. विशेष परिस्थितियों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 में नियम-74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & Equitable Manner से विभाजित किया जा सकेगा।

बोली/दर संविदा के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	



अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. निर्देशालय विकिन्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर में फोटो स्टेट का कार्य के लिए दर सविदा हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट www.raajswasthya.nic.in / www.sppp.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदा प्रथम भाग में तकनीकी बोली प्रस्ताव द्वितीय भाग वित्तीय बोली प्रस्ताव होगा।
2. तकनीकी बोली प्रस्ताव एवं बोलीदाताओं ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in माध्यम से जाने के लिए और कड़ी ठेकेदारों के 'लिम्प मदर्' डीएससी के बारे में जानकारी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र) पूछे जाने वाले प्रश्न का बोलीदाताओं में भूखल किट उल्लेख है और चाहिए वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता बिन्दु संख्या 8 देखें।
3. बोलीदाताओं एक वर्ग 3 द्वारा जारी वर्ग (सीए) या ई-निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण 2 आवश्यकता है।
4. श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.raajswasthya.nic.in/) पर प्रकाशित किया गया है। डाउनलोड की शर्तियाँ बोली दस्तावेज में केवल रुपये का 500/- रु. का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर बैंक प्रबंध निदेशक ई-टेंडर प्रक्रिया का प्रसंस्करण शुल्क प्रबंध निदेशक आरआईएसएम, जयपुर के नाम से देय हो संतान करने के पश्चात निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वैध माना जायेगा। निविदा प्रपत्र शुल्क 1000/- रु. डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर बैंक के माध्यम से निदेशक (जन स्वा.) के नाम से देय/पत्र में प्रस्तुत करना है।
5. बोली दस्तावेज पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि/साहित सभी संचार (तकनीकी और वित्तीय बोली) द्वाराप्रत्येक पृष्ठ पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
6. तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोलना जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य पाई गई बोलियों की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना या समय सम्बन्धित बोली दाताओं को ई-मेल से सूचित कर दिया जायेगा
7. बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति (धराहर राशि) राशि टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर बैंक एवं - ई और निविदा शुल्क को है (केवल तकनीकी निविदा) प्रपत्र-ई डाइकॉपी दिनांक को साय बजे तक स्थाई भण्डार अनुभाग, निर्देशालय विकिन्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर में जमा करवानी होगी।
8. **ई-निविदा से संबंधित बिन्दु**

- (क) बोलीदाता ई उपापन की वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों को पालना करने होंगा।
- (ख) बोलीदाताओं बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अन्तही तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए निर्देशालय आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ पसी किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) बोलीदाताओं को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर सर्जिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। ऑफलाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जायेगा और खारिज कर दिया जायेगा।
- (घ) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BOD.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरे जबकि अपलोड है) डाउनलोड BOD.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (च) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है।
- (छ) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
- (ज) निदेशक विकिन्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर गैर अनुपालना के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (झ) बोलीदाताओं सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करने की जरूरत है।
- (ञ) कोई शुद्धिमत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट का अवलोकन करते रहना चाहिए।
- (ट) बोलियों को ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाता निर्देशालय में बोली ऑनलाइन खोलने समय उपस्थित हो सकते हैं।
- (ठ) बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना होगा।
- (ड) बोलीदाताओं को सावधान रहना चाहिए। तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए।
- (श) BOD और वित्तीय बोली को भरने के लिए यूनेक्सवर सी वित्तीय बोली प्रारूप में दिये गये ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें।
- (स) बोलीदाता को लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी, बोलीदाताओं ई प्रोप्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

(घ) ई-प्रोप्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का समय होगा।

निदेशक (जन स्वा.)
विकिन्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

ई-निविदा सूचना संख्या 1/2018-19

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	आरआईसीएल शुल्क
1.	निदेशालय (चिकित्सा पक्ष) में फोटो स्टेट का कार्य के लिए दर संविदा हेतु।	25 लाख	50000/-रु	1000/-रु.	500/-रु.

निविदा की शर्तें :-

- बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से अथवा विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in एवं पोर्टल वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती हैं। तथा निविदा का आवेदन <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से किया जाना है।
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- उक्त निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभाग का होगा।
- तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तें:-
 - निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि।
 - निविदा प्रपत्र नेट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रु.डाफ्ट।
 - RISL प्रसंस्करण शुल्क की राशि रु. /- का बैंकर चैक/डिमाण्ड डाफ्ट।
- तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्तें :-
 - जी.एस.टी. पंजीयन संख्या का प्रमाण-पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित तथा 30.09.2017 तक जी.एस.टी. पैमेंट का लेजर चालान।
 - आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति।
 - तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बन्धित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिए।
 - फर्म को राजकीय विभागों/संस्थाओं/स्वायत्तशासी निकायों में रुपये 13 लाख वार्षिक (एक वर्ष) के कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव के सम्बन्ध में फर्म द्वारा गत दो वर्षों में 2015-16 व 2016-17 में राजकीय विभागों/ संस्थाओं में किये गये फोटो स्टेट के कार्य का विवरण दिया जाना चाहिए।
 - फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में फर्म की बिक्री/टर्नओवर रुपये 13/- लाख (प्रति वर्ष) होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा अपने सी.ए. का प्रमाण-पत्र / अंकेषित लेखें प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है।
- तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
- फर्म द्वारा निदेशालय में एक स्थान पर दो फोटो स्टेट मशीन लगाई जावेगी।
- फोटो स्टेट मशीन पर बिजली के बिल का भुगतान फर्म द्वारा किया जावेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर इसके लिए अलग से मीटर लगाया जायेगा।
- विभाग द्वारा केवल स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। मशीन ऑपरटर व पेपर फर्म (निविदा में प्रस्तुत नमूने के अनुसार) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मशीन के रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। विभाग केवल प्रतियों की संख्या के आधार पर अनुमोदित (समस्त कर, सामान, माल भाड़ा मय जी.एस.टी. सहित) दरों से भुगतान करेगा।
- मशीने प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से सांयकाल 6.00 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवश्यकता होने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा। निविदा प्रपत्र में अंकित सभी शर्तें मान्य होगी एवं आवश्यकता पडने पर अवकाश के दिन फोटो कॉपी का कार्य करवाया जा सकता जिसके लिए निविदादाता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- प्रतिदिन प्राप्त होने वाली पर्यियों को आगामी कार्य दिवस में भण्डार अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए हस्ताक्षर देने होंगे। 100 फोटो प्रति से अधिक फोटो प्रति होने की स्थिति में सम्बन्धित अनुभाग के अधिकारी से हस्ताक्षरित पर्यी मय मोहर उपलब्ध करवानी होगी। भुगतान हेतु बाउचरों के विवरण की सूची एवं कार्यदिश का प्रोफार्मा के अनुसार कार्य किया जावे व दिये गये विवरण के अनुसार सूची तैयार की जाकर बिल तीन प्रतियों प्रतिमाह प्रस्तुत किया जाये।

14. फोटो स्टेट कार्य हेतु 70 जीएसएम ए ग्रेडमील (यथा जिरोक्स, जेके, टीएनपीएल) का पेपर को प्रयोग में लिया जायेगा। इससे हल्का पेपर प्रयोग में नहीं लिया जायेगा। यदि निम्न क्वालिटी का पेपर प्रयोग पाये जाने पर उस माह के सम्पूर्ण बिलो से रुपये 0.25 प्रति कॉपी की दर से पेनल्टि काटली जायेगी।
15. फोटो स्टेट के उपयोग में लिये जा रहे पेपर का आकस्मिक निरीक्षण निदेशक (जन.स्वा.) द्वारा गठित समिति करेगी व रिपोर्ट तीन माह में प्रस्तुत करेगी।
16. फर्म के द्वारा निविदा कार्य अन्य किसी फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जायेगा।
17. निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदन किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमाम्य होगी, दरों को आपसी सहमति के साथ राजस्थान लोक उपापन परदर्शिता नियम-29 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
18. (1). राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रयास के लिए प्रदत्त रकम की 1 प्रतिशत होगी, और लघु उद्योगों से भिन्न रूपण उद्योगों की दशा में जिनके मामलें प्रौद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के सक्षम लंबित है। यह बोली के मूल्य का 2 प्रतिशत होगी।
(2). बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रतिबंधित उपक्रमों, नियमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
19. सामान्य वस्तु की क्रय राशि अनुमानित हैं। अनुबंध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। क्रय राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 के अनुसरण में निम्नानुसार होगी।
20. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नहीं करती है, या बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपापन करती है, तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेज में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
21. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम -74 के अनुसार कार्य विभाजित किया जा सकेगा।
22. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील हैं। अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।
23. अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :-
(1). निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर में फोटोस्टेट का कार्य की दर संविदा के लिए निविदा हेतु दरें एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से एक वर्ष) के लिए अनुमोदन कराने हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए, निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होंगे।
(2). बोलीदाताओं ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी, "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख हैं और चाहिए "बोलीदाताओं मैनुअल किट" और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्दु संख्या 8 देखें।
(3). बोलीदाताओं एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता हैं।
(4). पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों <http://dop.rajasthan.gov.in> और <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रकाशित किया गया हैं। दस्तावेज में केवल 400 रुपये की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के उपरान्त ही डाउनलोड की अंतिम बोली प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा - यह राशि नकद जमा करवाई जा सकती हैं या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के माध्यम से निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के पक्ष में देय हो और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क, 500/- डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।
(5). बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
(6). तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा, तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा, वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में ई-मेल से सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
(7). बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक एवं ई-निविदा प्रपत्र (केवल तकनीकी निविदा) की हार्डकॉपी दिनांक को साथ बजे तक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के स्थाई भण्डार अनुभाग कक्ष में जमा करवानी होगी।

24. ई-निविदा से संबंधित बिन्दु

- (1) बोलीदाता ई उपापन की वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने होगा।
 - (2) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा।
 - (3) बोलीदाताओं को <http://www.eproc.rajasthan.gov.in/> पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। ऑफलाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा।
 - (4) क्रिय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड **BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल)** डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें जबकि अपलोड ई **डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल)** में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - (5) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक बैंड वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है।
 - (6) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
 - (7) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर गैर अनुपालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
 - (8) बोलीदाताओं सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है।
 - (9) कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in/> पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट का अवलोकन करना चाहिए।
 - (10) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाता निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं।
 - (11) बोलीदाताओं का बोली प्रतिभूति राशि (धरोहर राशि) निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना होगा।
 - (12) बोलीदाताओं को दस्तावेज अपलोड करते समय सावधान रहना चाहिए। तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए।
 - (13) BoQ और क्रिय बोली को भरने के लिए क्रिय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में क्रिय निविदा भरने के लिए निर्देश देखें।
 - (14) बोलीदाता को लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी हैं, बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
 - (15) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का समय होगा।
25. अनुमोदित ठेकेदार के मशीन चालक को कार्यालय से विभिन्न अनुभागों द्वारा प्रेषित मॉग पत्र प्रतिदिन सायं 6.00 बजे तक एवं राजकीय कार्य प्रतिआवश्यक होने पर इसके पश्चात भी स्वीकार करने होंगे, एव उसी दिन मॉग पत्र में निर्देशित कार्य पूर्ण कर फोटो स्टेट प्रतियां देनी होगी।

निविदा की आवश्यक शर्तें।

निविदा की आवश्यक शर्तों:-

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक फर्म/संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय-दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में बोली प्रतिभूति राशि 50 हजार (पचास हजार रुपये मात्र का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्रफ्ट "निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के नाम देय हो।
3. फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के बिम्/टर्मओवर रुपये 13/- लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा सी.ए. का प्रमाण-पत्र/अंकेक्षित लेखें प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति तथा फर्म/संस्थान द्वारा दिनांक 30.09.2017 तक का जी.एस.टी.रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा इसके अभाव में निविदा रद्द कर दी जायेगी।
5. निविदाएं ऑनलाईन खोली जायेगी। वित्तीय निविदा को छोड़कर शेष सभी आवश्यक दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, डी.डी./बैंकर चैक एवं अन्य सभी संलग्न की हार्डकॉपी ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व दिनांक 28.02.2018 को मध्याह्न 2.00 बजे तक विभाग में जमा करवाये जाने होंगे।
6. यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/कार्यालय में ऑनलाईन प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के सक्षम खोला जायेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी निविदा को खोला जायेगा। ओर वित्तीय निविदा सुरक्षित रखी जायेगी। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जायेगा।
7. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण के उपरान्त केवल उन निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा निविदा ऑनलाईन खोली जायेगी। जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/प्रस्तुतिकरण में सफल/उपरोक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं की ऑनलाईन वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
8. निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
 - (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचनापत्रा अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
 - (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवंपत्रा अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी।
9. दरों की तुलना:- राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है द्वारा निविदात दरों की तुलना करने में राजस्थान जी.एस.टी. राशि को शामिल नहीं किया जायेगा जबकि केन्द्रीय जी.एस.टी. राशि को इसमें शामिल किया जायेगा।
10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसपत्रा अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
- 12- विनिर्देश:- (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क, नमूना के पूर्णतया अनुरूप होगी
13. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर की गई कर वृद्धि का संदाय/भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।
14. नमूने (कागज के)- अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदा वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो उन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी. आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। कटरगि/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बाक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।
15. प्रत्येक नमूने पर या उस पर मजबूती से चिपकाई गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम मद की संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखें जायेंगे।
16. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इक्ठठा किया जायेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिये जायेंगे। उन्हें समपहत किया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
17. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो, या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों, जैसे राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा, उन्हें स्वीकार किया जायेगा।

18. नमूने निकालना:- परीक्षणों के मामले में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिये जायेंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जायेगा। उनमें से एक सेट उन्हें दे दिया जायेगा, एक या दो सेटों को प्रयोगशाला एवं/परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जायेगा तथा तीसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जायेगा।
19. परीक्षण प्रभार:- परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
20. रद्द करना:-
- (1) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जायेगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें ब्रेन्ना अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
- (2) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या असंशिक रूप में बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए, तो ब्रेन्ना अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गड़ कटौती अंतिम होगी।
21. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद ब्रेन्ना अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा दस निविदादाता की जोखिम पर उसके मुद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुन्द्र, रेल, सड़क या वायुयान, द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो, तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, नुकसान टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किये जाने पाई गई ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगा।
23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय ब्रेन्ना अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद ब्रेन्ना अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
24. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
25. (1) सुपुर्दगी अवधि:- निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:-

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि 15 दिवस या आदेशानुसार
-------------	----	--------	--------------------------------------

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि वह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित हैं:-

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

(3) यद्यदि ब्रेन्ना अधिकारी किन्ही निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निदिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

26. बोली प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) :-

(क) निविदा के साथ रु. 50,000/- की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुरके पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करायी जानी चाहिए :-

(1) नकद - शीर्ष "8443" - सिविल निक्षेप 103 प्रतिभूति निक्षेप ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(2) शिड्यूल् बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय:- असफल निविदादाता की बोली प्रतिभूति राशि को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जायेगी।

(1) बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूट :- उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत दर पर बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(2) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उद्यमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उद्यम और कम्पनियों से ली जायेगी।

- (ड) अनुमोदन की प्रक्रिया करने वाली या रदद की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण/विभाग कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।
27. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण:- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहत कर लिया जाएगा :-
- (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
 - (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
 - (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - (4) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मर्दों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
28. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-
- (क) सफल निविदाओं को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा को स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी।
- (ख) निविदा के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।
- (ग) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (घ) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
- (1) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ चालान की रसीदी प्रति/ एफडीआर/ EGRAS
 - (2) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी (Pledge) रखा जायेगा।
 - (3) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेंस सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/ विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण-पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेन्डर वेल्थ) पर स्वीकार किया जायेगा।
 - (ड) एक बार की खरीद के मामलों में क्रय आदेश के अनुसार मर्दों के अंतिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा सुपुर्दगी को सामन्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद गारंटी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर किस निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।
 - (2) (क) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन विलोपित प्रमाण-पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी। तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी। ओर अमानत राशि अनुमोदित मात्रा के मूल्य की दो प्रतिशत ली जायेगी।
 - (ख) केन्द्र सरकार एवं राजसीन सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
 - (3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जा सकेगा।
 - (क) जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
 - (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हो।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा, इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
 - (4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क दी जायेगी।
29. बीमा :- (1) सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किया जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे- युद्ध, विद्रोह, दंगे, आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्यों में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (2) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।
30. (1). निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा। तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
- (2). प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 - (3) परिसमापित नुकसानों की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 - (4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

- (6) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
31. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
 32. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरक्षित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
 33. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
 34. निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-
 - (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
 - (iii) एक मात्र स्वाभित्त्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
 - (iv) कम्पनी के मामलों में कम्पनी के रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
 35. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलों को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सबद नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
 36. समस्त विधिक कार्यवाहियों, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
 37. निविदादाता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं सलग्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा।
 38. निविदा स्वीकार की रिधति में सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में 1000/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम पेपर पर करार/अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
 39. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदा के साथ सलग्न धरोहर राशि जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि में समयोजित कर ली जायेगी तथा नियमानुसार शेष 3 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में अनुबन्ध/करार निष्पादित होने से पूर्व जमा करानी होगी।
 40. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य क्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान व समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेश लागू होंगे।

41 : COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:

Any person participating in a procurement process shall-

- a. Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process:
- b. Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation:
- c. Not indulge in any collusion. Bid rigging or any- competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process:
- d. Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process.
- f. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
- g. Disclose conflict of interest, if any; and
- h. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities. Contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- I. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if. Including but not limited to
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject or the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the procuring entity as engineer incharge/ consultant for the contract.

I/We hereby agree ~~to~~ above terms & Conditions & have signed on each page as a taken of acceptance.



42: GRIVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS:

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director (P.H.), Medical & Health Services Rajasthan Jaipur
The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Health Secretary, Medical & Health Department Rajasthan Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial bids. An appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The Officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it or within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate Authority, as the case may be

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provision limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of Confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents. If any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public procurement Portal.

43: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- i. if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless

in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which cases the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensating except otherwise provided the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and the vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid accepted and the second lowest Bidder equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

44. The Designation and address of the First Appellate Authority is Director (P.H.), Medical & Health Services, Rajasthan Jaipur. The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Health Secretary, Medical & Health Department, Rajasthan Jaipur

Signature Of Bidder

Annexure A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice inviting Bids No. Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we not insolvent, receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any off the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:



Name:

Designation:

Address:

Annexure B

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official Address. If any:
 - (iii) Residential Address
2. Name and address of the respondent (S)
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy) , or a statement of a decision , action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6. Ground of Appeal:

.....

.....

.....

.....(Supported by an affidavit)

7.

Prayer :

.....

.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature



Annexure :C

**DECLARATION by the Bidder on Non judicial Rs.100 stamp paper
(To be filled by the Bidder)**

To,

{Procuring entity},

In response to the NIB Ref. No.-----

dated-----

for

{Project Title}, as an Owner/ Partner/ Director/Auth.Sign. Of

I/ We hereby declare that presently our

Company/ firm----- at the time of bidding,: -

- a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- b) have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- c) is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
- d) does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years
- e) does not have any debarment by any other procuring entity
- f) is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- g) does not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- h) does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.
- i) will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.


Thanking you,

Name of the Bidder: - Authorised

Signatory: -

Seal of the Organization: Date:

Place:




Annexure :D**औसत वार्षिक टर्न ओवर की सूचना**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स
का पिछले दो वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर की राशि (लाख में)
1.	वर्ष 2015-16	
2.	वर्ष 2016-17	
योग		
औसत वार्षिक टर्न ओवर		

चार्टर्ड अकाउन्टेंट के
हस्ताक्षर मय सील



निविदा दाता के
हस्ताक्षर मय सील

Annexure :E

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- निविदा प्रस्तुत।

महोदय,

ई-निविदा सूचना क्रमांक: स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2018/..... दिनांक के क्रम में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर में फोटो स्टेट का कार्य के लिए निविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से एक वर्ष) के लिए अनुमोदन हेतु अपने अनुबंध (एस) के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरे पर वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है, जबकि

1 निम्नलिखित दस्तावेज जमा फीस आदि जमा जाने के सबूत के संबंध में प्रस्तुत किये जाने रहे हैं:-

क्र.सं.	विवरण	नम्बर	दिनांक	बैंक
1.	निविदा शुल्क रुपये...../- नकद डीडी/ बैंकर चैक (निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के नाम से बना हो , जो जयपुर में देय हो)			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्क रुपये...../- डीडी/ बैंकर चैक (निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के नाम से बना हो , जो जयपुर में देय हो)			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु./- नकद डीडी/ बैंकर चैक (निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के नाम से बना हो , जो जयपुर में देय हो)			

2 अनुबंध की अवधि के प्रभावी होने की तिथि से एक साल के लिए किया जायेगा।

3 मैं/हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए हम बाध्य होंगे।

4 इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं/हम एतद द्वारा (एनेक्चर-ए से आई तक) के साथ-ही विधिवत हमें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत हैं। मैं/हम/मेरे हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं।

5 इस सम्बन्ध में सभी कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न है। सभी दस्तावेजों/दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे द्वारा स्वयं सत्यापित किया गया है/ हमें और विभाग दस्तावेजों के दस्तावेजों/फोटोकॉपी के किसी भी है कि अगर कानून के किसी सक्षम न्यायालय में/हमें मुझे पर विभाग मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है।

6 हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

7 मेरे/हमारे तकनीकी बोली के प्रकार है:- समर्थन में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा दस्तावेजों की सूची संलग्न है:-

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति/हस्ताक्षरकर्ता की पोस्ट	
फर्म/एजेंसी का नाम	
दिनांक	

Annexure :F

1. निदेशालय में फोटो स्टेट का कार्य ठेके पर कराये जाने वाले कार्य का विवरण

क्र.स.	फोटो स्टेट कार्य का विवरण	70 जी.एस.एम.ए. ग्रेड मिल (जिरोक्स जे.के.टी.एन.पीएल.) या इसके अनुरूप मेक भी अंकित करें	पेपर सेम्पल संलग्न किया जावे।
1.	निदेशालय में ठेके पर कराये जाने वाले फोटो स्टेट कार्य		
A	ए-4 साईज एक तरफ		
B	ए-4 साईज दोनो तरफ		
C	एफ.एस. साईज एक तरफ		
D	एफ.एस. साईज दो तरफ		

2. मशीनो का विवरण

मशीनो का विवरण कम्पनी का नाम	क्षमता/स्पेशिफिकेशन	क्रय वर्ष

3. सरकारी विभागों/ सरकारी संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव

नाम विभाग	कार्य अवधि	किये गये कार्य की अनुमानित लागत	अनुभव प्रमाण-पत्र

4. फर्म का वार्षिक टर्नओवर

वर्ष-2015-16	रुपये.....लाख (दस्तावेज संलग्न करें)
वर्ष-2016-17	रुपये.....लाख (दस्तावेज संलग्न करें)

निविदाताओं के हस्ताक्षर मय मोहर

- निविदाताओं का नाम
- डाक का पता
- टेलीफोन नम्बर (दुकान)
(घर)

जयपुर दिनांक



Annexure :G

PHOTO COPY WORK - CHECK LIST

क.सं.	विवरण	वर्ष/मैक/संख्या आदि	निर्धारित अंक
1.	मशीन के निर्माण का वर्ष (प्रमाण संलग्न करें)	2018	10
		2017	8
		2016	6
2.	मशीन का मैक (प्रमाण संलग्न करें)	कैनन/मोदी/रीको अन्य	10 3
3.	प्रति मशीन फोटो स्टेट कार्य प्रतिदिन की क्षमता	4000 प्रति. प्रति घन्टे	10
		3000 प्रति. प्रति घन्टे	8
		2000 प्रति घन्टे	4
4.	ऑपरेटर की संख्या (प्रमाण संलग्न करें)	3	10
		2	6
5.	राजकीय अवकाशों में तथा कार्यालय समय पूर्व/पश्चात की व्यवस्था	हाँ नहीं	10 0
6.	कार्यरत मशीन के खराब होने की स्थिति में अन्य मशीन एवं स्टेण्डबाय की व्यवस्था	हाँ नहीं	10 0
7.	कार्यालय में होने वाली मशीनों के रख रखाव (मैन्टीनेन्स) की व्यवस्था (ए.एम.सी. या अन्य प्रमाण संलग्न करें)	हाँ नहीं	5 0
8.	फोटोस्टेट कार्य हेतु लाया जाने वाला कागज ए-4 एवं फुल साईज हेतु	टी.एन.पी.एल./जे.के./मोदी (70 जीएसएम)	10
		अन्य (70 जीएसएम)	5
9.	गत वर्षों का अनुभव (प्रमाण संलग्न करें) (1) सरकारी कार्यालय में संतोषजनक कार्य (2) अर्द्ध सरकारी कार्यालय में संतोषजनक कार्य	दो वर्ष से अधिक	10
		एक वर्ष से अधिक	8
		दो वर्ष से अधिक एक वर्ष से अधिक	8 6




Annexure :H

**Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur**

Declaration by Tenderer

We hereby declare that we are Bonafide Service provider for photostate service of all kinds for which we have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right and a small mark below it.

**Signature of Tenderer
with Rubber Stamp**

FINANCIAL BID (B.O.Q.)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR**

1. Rate for Photostate Work (Inlusive all taxes, duties etc.)

Name of Firm M/s.....			
S.No.	Size of Photo State Paper	Rate in Figure Per Copy Encludeing G.S.T./Taxes & All Other Expenses	Rate in Words Per Copy Encludeing G.S.T./Taxes & All Other Expenses
(1)	A-4 Single Side		
(2)	A-4 Both Side		
(3)	Full Size Single Side		
(4)	Full Size Both Side		

2. Photo State machines will be installed with immdiate effect from the date of issue of order.
3. The rate quoted above are valid for one year from the date of the opening of the tender. The period can be extended with mutual agreement.
4. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
5. Only one bidder shall be assigned entire photostate work of all category (A-4/Full size/Single Side/ Both sides). In case there are more than one bidder at L-1 the purchase committee will dicide the L-1 firm based on the category of wok with maximum quantum.

Rates shall only be filled in BOQ at website <http://eproc.rajasthan.gov.in>

Note:-

1. The rate quoted should be inclusive of all duties, taxes, case etc.
2. Rate should be quoted on separate sheet for each items.
3. Rate should be quoted both is Figures & words.
4. Read all the terms & conditions before filling the bid.

**Signature of Tenderer
With Rubber Stamp**

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2018/486

दिनांक : 08.02.18

ई-निविदा सूचना संख्या 1/2018-19

1. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए दर संविदा पर दो फोटोस्टेट मशीन मय ऑपरेटर फोटोस्टेट कार्य करने हेतु अनुभवी फर्मों से मोहरबंद दोहरे लिफाफों में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाताओं द्वारा निविदा की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.rajswasthaya.nic.in तथा पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा आवेदन वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से किया जाना है।
4. निविदा के साथ निविदा फार्म शुल्क 1000/-रु. एवं अमानत राशि 50000/- रुपये (पचास हजार रुपये) निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से देय तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क 500/-रु. एम.डी. आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम से देय बैंकर चैक/डी.डी. जमा करानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा के साथ सभी जमा शुल्क/बैंकर्स चैक, शपथ-पत्र, कागज नमूना, एनेक्जर दिनांक 28.02.2018 को मध्याह्न 2.00 बजे तक स्थाई भण्डार अनुभाग (निदेशालय) में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. तकनीकी निविदा के साथ वित्तीय बिड के अतिरिक्त समस्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड की जानी है।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
8. यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा आगामी कार्य दिवस में उक्त समय पर ही जमा एवं खोली जावेगी।
9. तकनीकी निविदा में सफल निविदाओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक(जन स्वा.) को होगा। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

8/12/18
13